ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2022; 8(3): 451-454
www.allresearchjournal.com
Received: 04-01-2022
Accepted: 21-02-2022

पूजा सिंह
शोध छात्रा समाजशास्त्र, शासकीय ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

डॉ. के के सिंह
सेवानिवृत्त प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

Corresponding Author:
पूजा सिंह
शोध छात्रा समाजशास्त्र, शासकीय ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

रीवा जिला में घरेलू हिंसा से प्रभावित गृहणियों की मनोसामाजिक स्थिति : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

पूजा सिंह, डॉ. के के सिंह

सारांश
इस शोध पत्र के द्वारा रीवा जिला में घरेलू हिंसा से प्रभावित गृहणियों की मनोसामाजिक स्थिति : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध में आंकड़ों के संकलन हेतु स्वनिर्मित अनुसूची का निर्माण किया गया है। इसमें रीवा जिले की 360 घरेलू महिलाओं को उद्देश्यपरक प्रतिदर्श के आधार पर चयन कर तथ्यों के संकलन हेतु संबंधित उद्देश्यों के आधार पर अनुसूची का निर्माण किया गया। शोध क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाताओं की शिक्षा माध्यमिक स्तर तक है। सर्वाधिक उत्तरदाता 57.78 प्रतिशत संयुक्त परिवार में निवास करते है तथा एकांकी परिवार में 42.22 प्रतिशत निवास कर रहे है। 32.50 प्रतिशत असुरक्षा की भावना, 25.83 प्रतिशत मानसिक तनाव, 23.89 प्रतिशत शर्मिंदगी व 17.78 प्रतिशत आत्मबल में कमी उत्तरदाताओं ने माना है। शोध क्षेत्र के 27.22 प्रतिशत बच्चों की उपेक्षा, 25.84 प्रतिशत तनावपूर्ण सम्बन्ध, 24. 72 प्रतिशत पारस्परिक विश्वास एवं प्रेम में कमी, 22.22 प्रतिशत पारिवारिक झगड़ों से पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है।

कूटशब्द : रीवा जिला, घरेलू हिंसा, गृहणियां, मनोसामाजिक स्थिति

प्रस्तावना:
स्त्रियों के उत्पीड़न और दासता का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना असमानता और उत्पीड़न पर आधारित सामाजिक संरचनाओं के उद्भव और विकास का इतिहास।
मनोवैज्ञानिक उसकी भावुकता को, समाजशास्त्री समाज की विभिन्न परम्पराओं को तथा अर्थशास्त्री उसकी आर्थिक निर्भरता को। इन सभी आधारों को यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि शुरूआती दौर से स्त्रियों की जैविक बनावट ने इसे श्रम विभाजन का रूप देकर शिकारी युग में स्त्री को घर के अन्दर तथा पुरूष को घर के बाहर किया, यहॉ से शुरू होती है स्त्री की आर्थिक निभरता।
इसके पश्चात् तो कभी उसकी भावनाओं को भुलाकर उस पर बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेंदारी डाली तो कहीं समाज की परम्पराओं की दुहाई देकर उसको परिवार में कैद करने की योजना। मूलमंत्र एक ही है कि स्त्री को अधीनस्थ बनाया जाय। [3]
पुरानी रूढ़ियों के आधार पर प्रायः ऐसा माना जाता था कि औरतों की मानसिक स्तर पुरूषों की अपेक्षा कम होता है, लेकिन विविध बुद्धि लब्धि परीक्षणों के माध्यम से आज यह तथ्य भली–भॉति स्पष्ट हो गया है कि नारी का बौद्धिक स्तर पुरूषों से कम नहीं बल्कि काफी हद तक अधिक है।
घरेलू हिंसा या लिंग आधारित हिंसा सार्वभौमिक है। ये सभी दायरों में व्याप्त है। लड़कियों और महिलाओं पर हिंसा पति, पिता या अन्य पुरूष एवं महिला रिश्तेदारों द्वारा की जाती है। ऐसी स्थिति में महिला एवं लड़की का घर ही एक ऐसा ख़तरनाक स्थान हो जाता है जहाँ उसे रहना पड़ता है। पिछले दशक में हमारे समाज में महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसात्मक कार्यवाही को रोकने के लिए अनेक प्रयास किये गये, परन्तु महिलाओं के विरूद्ध हिंसात्मक कार्यवाहियों में निरन्तर वृद्धि पायी गयी है। यदि देखा जाये तो आंकड़े महिलाओं के विरूद्ध हिंसात्मक कार्यवाही के विषय में जितना बताते हैं, वास्तविकता में ऐसी घटनाएं इनसे कहीं ज्यादा होती हैं, क्योंकि इन घटनाओं की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई जाती। घरेलू हिंसा की एक चुप्पी की संस्कृति मौजूद है। जिसके कारण समाज में हर स्तर पर महिलाओं के विरूद्ध हिंसात्मक कार्यवाही करना आसान हो जाता है। इस प्रकार की हिंसा को एक निजी मामला माना जाता है। इसलिए इसकी सूचना किसी को नहीं दी जाती। यद्यपि अब महिलाएं जागरूक हुई हैं और रिपोर्ट करायी जाती है। तथापि यह प्रतिशत काफी कम है।
घरेलू हिंसा कानून लागू होने से पहले यह माना ही नहीं जाता था कि घरों में भी हिंसा होती है और इसका सबसे ज्यादा शिकार महिलायें होती हैं वो चाहे विवाहित हों या अविवाहित।

26 अक्टूबर 2006 को जब से यह कानून लागू हुआ तब से लेकर आज तक घरेलू हिंसा से होने वाले नुकसान का आकलन विभिन्न शोधों से लगातार किया जा रहा है इन शोधों से प्राप्त आँकड़े चौंकाते हैं। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक (1975–85) के दौरान एक पृथक पहचान मिली थी। सन् 1979 में संयुक्त राष्ट्रसंघ में इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का रूप दिया गया था। विश्व के अधिकांश देशों में पुरूष प्रधान समाज है। पुरूष प्रधान समाज में सत्ता पुरूषों के हाथ में रहने के कारण सदैव ही पुरूषों ने महिलाओं को दोयम दर्जे का स्थान दिया है। यही कारण है कि पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति अपराध, कम महत्व देने तथा उनका शोषण करने की भावना बलवती रही है। घरेलू हिंसा अधिनियम भारत का पहला ऐसा क़ानून है जो भारतीय महिलाओं को उनके घर में सम्मानजनक एवं गरिमापूर्ण तरीके से रहने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। मोरिसन और ओरलेंडो के एक शोध के अनुसार विकासशील देशों में महिलाओं के साथ हुई हिंसा में कैंसर, मलेरिया, ट्रैफिक एक्सीडेंट और युद्ध में हुई मौतों के मुकाबले ज्यादा मौत होती हैं।

2. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

महिलाओं का उत्पीड़न, अपमान, शोषण, दमन, तिरस्कार एवं यंत्रणा उतना ही प्राचीन है जितना की पारिवारिक जीवन का इतिहास। यद्यपि सामाजिक विधान के परिप्रेक्ष्य में भारतीय महिलाएँ अन्य कई देशों की महिलाओं से कहीं आगे हैं किन्तु इस आधी आबादी को अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया इतनी मंद, अव्यवस्थित एवं असंगत रहीं है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से वे पुरुषों से काफी पीछे रह गई है। उनसे न केवल काम में उनके साथ भेदभाव किया जाता है अपितु प्रत्येक क्षेत्र में उनको अधिकारों से वंचित रखा जाता है। घर मे ंतो उनकी स्थिति और भी खराब है। उनके साथ बदतर व्यवहार के अलावा विविध प्रकार के दुर्व्यवहार भी किए जाते है। शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य न केवल रीवा जिले वरन् सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में घरेलू हिंसा से प्रभावित गृहणियों की मनोसामाजिक स्थिति : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन का आंकलन किया जा सकेगा तथा ऐसे सुझाव शोध कार्य के उपरान्त दिये जा सकेंगे जिनका प्रयोग कर राज्य शासन द्वारा कठिनाइयों को दूर कर विकसित करने पर समर्थ हो सकता है। शोधार्थी द्वारा चयनित शोध कार्य इस क्षेत्र में पूर्णतः नवीन है जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी व महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

3. शोध की परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी का पूर्वानुमान परिकल्पनाओं के रूप में निम्नवत् है:–

1. घरेलू महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति तथा उनके माध्यम तथा निम्न स्थिति की घरेलू हिंसा का एक भाग है।
2. घरेलू महिलाओं का परम्परावादी समाज में परिवर्तित समाज हो रहा है जिससे उनकी स्थिति में परिवर्तन आया है तथा घरेलू अपराध बढ़े है।

4. उद्देश्य

प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान मे रखकर किया गया है:–

- शोध क्षेत्र में घरेलू महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना।
- शोध क्षेत्र में घरेलू महिलाओं का परम्परावादी समाज में परिवर्तित समाज से उनकी स्थिति में परिवर्तन द्वारा बढ़ रहे घरेलू अपराधों का अध्ययन करना।

5. शोध समस्या का सीमांकन

5.1 भौगोलिक परिसीमन – प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र रीवा जिला है। इसके अन्तर्गत सभी विकासखण्ड सम्मिलित हैं।

5.2 विषयवस्तु का परिसीमन – अध्ययन की विषयवस्तु का परिसीमन, जिला अन्तर्गत घरेलू हिंसा से प्रभावित गृहणियों की मनोसामाजिक स्थिति : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

6. शोध विधियाँ

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित विधियों एवं उपकरणों का उपयोग किया गया है –

6.1 साक्षात्कार विधि – शोध क्षेत्र में समन्वित घरेलू हिंसा से प्रभावित गृहणियों की मनोसामाजिक स्थिति : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए इस क्षेत्र में महिलाओं से वस्तुस्थिति का पता लगाने हेतु साक्षात्कार किया गया है।

7. न्यादर्श चयन

रीवा जिला में घरेलू हिंसा से प्रभावित गृहणियों की मनोसामाजिक स्थितिः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए न्यादर्श के रूप में चयनित 360 उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति से साक्षात्कार हेतु किया गया है।

8. पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों का विवरण

किसी भी शोध कार्य को सोद्देश्य तथा अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि शोधार्थी अपनी शोध समस्या के समरूप पूर्व में किए गये अन्य शोध कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। इसी दृष्टिकोण से शोधार्थी ने घरेलू हिंसा से प्रभावित गृहणियों की मनोसामाजिक स्थिति : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन की वर्तमान स्थिति पर किये गये कुछ प्रमुख तथा सहज रूप से उपलब्ध पूर्व शोध अध्ययनों के विषय–वस्तु की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। संक्षेप में उनका विवरण निम्न है – अंजली (2005) [1], अलका (2012) [2], पत्रिका (2019) [3], ममता (2010) [4], शर्मा, मंजू (2008) [5] एवं शर्मा, पूजा (2012) [6]।

9. शोध क्षेत्र का परिचय

रीवा जिला 24.18^0 उत्तरी अक्षांश से 25^0 उत्तरी अक्षांश तथा 81.2^0 पूर्वी देक्षांश से 82.18^0 पूर्वी देक्षांश के मध्य है। रीवा जिले का क्षेत्रफल 6287 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश के बांदा एवं इलाहाबाद जिले, पूर्व तथा पूर्व–उत्तर में उत्तर प्रदेश का ही मिर्जापुर जिला, दक्षिण में अपने राज्य का सीधी जिला और दक्षिण–पश्चिम तथा पश्चिम में सतना जिला है।

10. परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, निम्नानुसार है–

सारणी क्रमांक 1: घरेलू महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति

क्र.	शैक्षणिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	43	11.94
2.	प्राथमिक	56	15.56
3.	माध्यमिक	153	42.50
4.	उच्च (स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी)	108	30.00
योग		360	100.00

स्त्रोत – शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर 2020–21

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं की शिक्षा माध्यमिक स्तर 42.50 प्रतिशत है। अशिक्षितों का 11.94 प्रतिशत, प्राथमिक स्तर तक 15.56 प्रतिशत व उच्च स्तर का 30.00 प्रतिशत पाया गया है। महिलाओं के जीवन में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा उसके सोचने–समझने के ढंग, रहन–सहन उसकी आदतों, मूल्यों, प्रतिमानों आदि सभी को प्रभावित करती है। महिलाओं के जीवन में परिवार और शिक्षा दानों का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है।

सारणी क्रमांक 2: उत्तरदाताओं के परिवार का स्वरूप

क्र.	परिवार का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
1.	एकल परिवार	152	42.22
2.	संयुक्त परिवार	208	57.78
योग		360	100.00

स्त्रोत – शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर 2020–21

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 57.78 प्रतिशत संयुक्त परिवार में निवास करते है तथा एकांकी परिवार में 42.22 प्रतिशत निवास कर रहे है। भारतीय परिवारों में पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव अधिक देखने को मिल रहा है। परिणामस्वरूप पारिवारिक विभाजन शहरी और ग्रामीण जीवन का आवश्यक अंग बन गया है।

सारणी क्रमांक 3: हिंसा से उत्पीड़ित होने पर मानसिक स्थिति पर प्रभाव

क्र.	मानसिक स्थिति पर प्रभाव	संख्या	प्रतिशत
1.	आत्मबल में कमी	64	17.78
2.	मानसिक तनाव	93	25.83
3.	शर्मिंदगी	86	23.89
4.	असुरक्षा की भावना	117	32.50
योग		360	100.00

स्त्रोत – शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर 2020–21

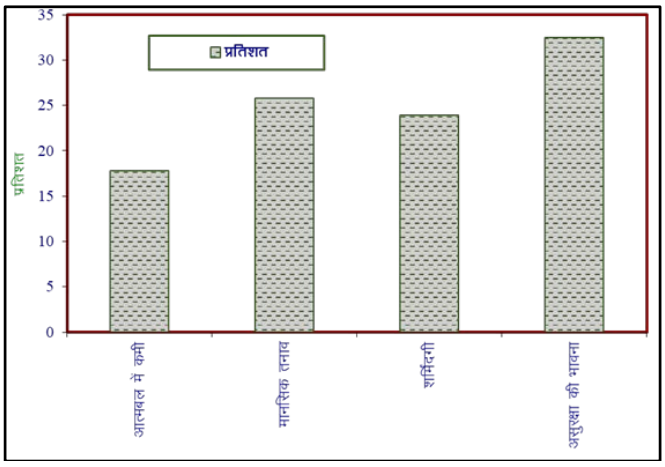

आरेख 1: हिंसा से उत्पीड़ित होने पर मानसिक स्थिति पर प्रभाव

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 32.50 प्रतिशत असुरक्षा की भावना, 25.83 प्रतिशत मानसिक तनाव, 23.89 प्रतिशत शर्मिंदगी व 17.78 प्रतिशत आत्मबल में कमी उत्तरदाताओं ने माना है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति माना जाता है लेकिन इसमें कुछ ऐसी परम्पराएं भी समय के साथ–साथ सम्मिलित हो गयी है जिन्होंने आज भयंकर कुरीतियों का रूप धारण कर लिया है।

अतः उपरोक्त सारणी क्र. 1, 2 एवं 3 के अवलोकन से से स्पष्ट है कि घरेलू महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति तथा उनके माध्यम तथा निम्न स्थिति की घरेलू हिंसा का एक भाग है। अतः परिकल्पना क्र. 1 सत्यपित होती है।

सारणी क्रमांक 4: हिंसा का पारिवारिक जीवन पर प्रभाव

क्र.	पारिवारिक जीवन पर प्रभाव	संख्या	प्रतिशत
1.	परिवारिक झगड़े	80	22.22
2.	तनावपूर्ण सम्बन्ध	93	25.84
3.	पारस्परिक विश्वास एवं प्रेम में कमी	89	24.72
4.	बच्चों की उपेक्षा	98	27.22
योग		360	100.00

स्त्रोत – शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर 2020–21

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 27.22 प्रतिशत बच्चों की उपेक्षा, 25.84 प्रतिशत तनावपूर्ण सम्बन्ध, 24.72 प्रतिशत पारस्परिक विश्वास एवं प्रेम में कमी, 22.22 प्रतिशत पारिवारिक झगड़ों से पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जहाँ हमारे देश में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान, धर्म, शिक्षा, संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में व्यापक प्रगति की है सामाजिक दृष्टि से आज भी महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अतः यह कहा जा सकता है कि घरेलू महिलाओं का परम्परावादी समाज में परिवर्तित समाज हो रहा है जिससे उनकी स्थिति में परिवर्तन आया है तथा घरेलू अपराध बढ़े है।

निष्कर्ष

अनुसंधान के परिणामों से प्राप्त निष्कर्ष निम्नानुसार है–

- शोध क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाताओं की शिक्षा माध्यमिक स्तर 42.50 प्रतिशत है। अशिक्षितों का 11.94 प्रतिशत, प्राथमिक स्तर तक 15.56 प्रतिशत व उच्च स्तर का 30.00 प्रतिशत पाया गया है।
- शोध क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाता 57.78 प्रतिशत संयुक्त परिवार में निवास करते है तथा एकांकी परिवार में 42.22 प्रतिशत निवास कर रहे है।
- शोध क्षेत्र के 32.50 प्रतिशत असुरक्षा की भावना, 25.83 प्रतिशत मानसिक तनाव, 23.89 प्रतिशत शर्मिंदगी व 17.78 प्रतिशत आत्मबल में कमी उत्तरदाताओं ने माना है।
- शोध क्षेत्र के 27.22 प्रतिशत बच्चों की उपेक्षा, 25.84 प्रतिशत तनावपूर्ण सम्बन्ध, 24.72 प्रतिशत पारस्परिक विश्वास एवं प्रेम में कमी, 22.22 प्रतिशत पारिवारिक झगड़ों से पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है।

संदर्भ

1. अंजली. भारत में महिला अपराध, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली. 2005.
2. अलका. महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, अप्रकाशित शोत्र प्रबन्ध, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर 2012 पृ. 8.
3. पत्रिका 'महिला थाना व परिवार परामर्ष केन्द्र शिविर', रीवा, 24 जून 2019

4. ममता. घरेलू हिंसा, अधिकारों के प्रति महिलाओं की जागरुकता, रिगल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010, पृ. 77–81.
5. शर्मा, मंजू. 'नारी शोषण और मानवाधिकार' प्रकाशन राज पब्लिशिंग हाउस 44, परनामी मन्दिर जयपुर, प्रथम संस्करण. 2008.
6. शर्मा, पूजा. – महिलाएँ एवं मानवाधिकार, सागर पब्लिशर्स, जयपुर, 2012 पृ. 64–65.